

// मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर //
निविदा आमंत्रण

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में गणतंत्र दिवस 2023 (26 जनवरी 2023) के शुभ अवसर पर म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की मुख्य बिल्डिंग पर Lighting Work (Neevar Patty Light, Color Jhalar, LED Parken Light, Stand Parken Light, Green Matlic, LED Rise Gate No. 01 & 02, HM Light Golden, Sound System) एवं टेंट सामग्री मंगवाये जाने हेतु शील बंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विभागीय पोर्टल <https://mphc.gov.in> पर भी निविदा के नियम एवं शर्तें उपलब्ध हैं।

मुख्य बिल्डिंग पर निम्नलिखित Lighting Work सामग्री की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1.	Neevar Patty Light (40 Feet)	-	20 Nos.
2.	Color Jhalar (30 Feet)	-	50 Nos.
3.	LED Parken Light	-	100 Nos.
4.	Stand Parken Light	-	08 Nos.
5.	Green Matlic 400 Watt	-	12 Nos.
6.	LED Rise Gate No. 01 & Gate No. 02	-	50 Nos.
7.	HM Light Golden	-	06 Nos.
8.	Sound System (Mic Set and Speaker CD System)	-	01 Set

म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की मुख्य बिल्डिंग के सामने आमंत्रितगणों की बैठक व्यवस्था करवाये जाने हेतु निम्नलिखित टेंट सामग्री की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1.	Synthetic Carpet	-	2700 Sqft.
2.	Synthetic Carpet (Red)	-	600 Sqft.
2.	Gate (Flower Decoration on Gate)	-	02 Nos.
3.	Fiber Chair	-	300 Nos.

पंजीकृत संस्थाएं प्रथक-प्रथक निविदाएं म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रोटोकॉल अनुभाग में दिनांक 19/01/2023 को दिन गुरुवार दोपहर 01:30 बजे तक सील्ड/बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोट:- विद्युत साज-सज्जा एवं टेंट सामग्री की निविदा प्रथक-प्रथक प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदापर विचार नहीं किया जावेगा।

//2//

पूर्व पृष्ठ से -

नियम एवं शर्तें :-

1. म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की मुख्य बिल्डिंग पर विद्युत साज-सज्जा कार्य दिनांक 25/01/2023 की दोपहर तक पूर्ण करना होगा। उक्त विद्युत साज-सज्जा दिनांक 25/01/2023 से दिनांक 27/01/2023 की सुबह तक रहेगी। सभी विद्युत साज-सज्जा सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं न्यू उपयोग में लाई जावेगी जिससे सुचारु रूप से विद्युत साज-सज्जा हो सके
2. सफल निविदाकर्ता को क्रय आदेश मिलने के उपरांत प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं उपयंत्री लोक निर्माण विभाग (वि/यां) अनुभाग इंचार्ज म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर से सम्पर्क कर शीघ्र ही कार्य शुरू करना होगा।
3. विद्युत साज-सज्जा एवं टेंट सामग्री की उल्लेखित संख्या में वृद्धि या कमी हेतु प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सक्षम है।
4. सफल निविदाकर्ता को म0प्र0 उच्च न्यायालय की गरिमा के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है।
5. फर्म को निविदा में जीएसटी नम्बर एवं पैन नम्बर का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. सफल निविदाकर्ता को कोई अग्रिम देय नहीं होगा कार्य के उपरांत भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से संस्था को किया जावेगा।
7. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

25/01/23

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश

खण्डपीठ इन्दौर

13/1/23